आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 680 **/ 2025** अनवान ***ओमप्रकाश व अन्य बनाम राज0 सरकार***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
19.08.25	वकील अपीलांट्स उपस्थित। उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाप (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 144/2024 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स–प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खसरान की सेग्रीगेशन के दौरान हुई गलत तरमीम को दुरूस्त करने का आग्रह किया गया, जिसे नामान्तरकरण संख्या 598 की पुस्त पर दर्ज तरमीम को आधार मानकर खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब में चल रही थी, जिसे जवाब पेश होना व बहस सुननी बताकर उसी दिन खारिज कर दिया गया। अप्रार्थीगण गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थी–अपीलांट की भूमि में दखलअंदाजी कर रहे है। अतः अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरान की भूमि के मौके की यथास्थिति का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया। बहस पर मनन किया तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार	

680/2025

पर यह पाया गया कि अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में स्पष्टतः यह उल्लेखित किया है ''कि वादग्रस्त खसरान की तरमीम ऑन लाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है, नामान्तरकरण संख्या 598 मौजा मोडकिया की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार ही वर्तमान ऑनलाईन तरमीम भू–नक्शा में अंकित है। वर्तमान तरमीम मौके पर खातेदारों के कब्जा व काश्त अनुसार होने से वर्तमान तरमीम को परिवर्तन किया जाना उचित नही है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।''

अतः अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील में प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष औचित्यपूर्ण प्रतीत नही होने से उक्त अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर